राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2715522 E-mail: modelschoolest@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/मॉडल स्कूल/11364 दिनांक : 17/03/20

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
समस्त जिले।

विषय :–समस्त स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय 30 मार्च 2020 तक बंद रखने की सुनिश्चितता बाबत्।
सदंर्भः–शिविरा/माध्य/मा–स/विविध दिवस/2018/198 दिनांक 14.03.2020

उपरोक्त विषय एंव सदंर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि विश्व स्वास्थय संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा केन्द्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के क्रम में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में (संदर्भित पत्र)निदेशक राज0 माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/मा–स/विविध दिवस/2018/198 दिनांक 14.03.2020 की पालना करवाना सुनिश्चित करायें।

इस संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार के समस्त स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करायें। अवहेलना करने वाले स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करना सुनिश्चित करें।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार

17/3/20
(एम0आर0बागड़िया)
अति. राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कू.शि.प., जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम रा.स्कू.शि.प., जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त।
4. संस्थाप्रधान, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल समस्त।
5. रक्षित पत्रावली।

17/3/2020
उपायुक्त–प्रथम

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

–: आदेश :–

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा केन्द्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के कम में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा कोरोना संकमण की स्थिति की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के कम में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक – 30 मार्च, 2020 तक राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, समस्त कोचिंग संस्थान, मदरसे एवं अन्य समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद रहेगे।

इस अवधि के दौरान चल रही समस्त प्रकार की कक्षा– 5, 8 की परीक्षाएं एवं कक्षा – 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यकमानुसार यथावत संचालित होगी। गैर सरकारी विद्यालयों की बोर्ड के अलावा समस्त परीक्षाएं 30 मार्च, 2020 के पश्चात संचालित होगी।

इस अवधि के दौरान संस्था प्रधान एवं स्टाफ आवश्यक ऐहतियात बरतते हुए विद्यालय में उपस्थित रहकर बोर्ड सम्बन्धी एवं शाला सम्बन्धी आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे।

समस्त सम्बन्धित उपर्युक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:–शिविरा / माध्य / मा–स / विविध दिवस / 2018 / 198
दिनांक :14.03.2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. आयुक्त,स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक,समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्., उदयपुर।
8. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), राजस्थान, अजमेर।
9. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. उप निदेशक (खेलकुद अनुभाग), कार्यालय हाजा।
12. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक ।
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी,समग्र शिक्षा अभियान ।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर / अजमेर।
16. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर ।
17. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
18. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
19. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

11364

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/विविध दिवस/2018/201 दिनांक :14.03.2020

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
समस्त जिले ।

विषय :– समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, समस्त कोचिंग संस्थान, मदरसे एवं अन्य समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थान दिनांक – 30 मार्च, 2020 तक बंद रखने की सुनिश्चितता बाबत्।

प्रसंग :– क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/विविध दिवस/2018/198 दिनांक :14.03.2020

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक आदेश के द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किए गए हैं–

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा केन्द्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के क्रम में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक – 30 मार्च, 2020 तक राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, समस्त कोचिंग संस्थान, मदरसे एवं अन्य समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

इस अवधि के दौरान चल रही समस्त प्रकार की कक्षा– 5, 8 की परीक्षाएं एवं कक्षा – 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार यथावत संचालित होंगी। गैर सरकारी विद्यालयों की बोर्ड के अलावा समस्त परीक्षाएं 30 मार्च, 2020 के पश्चात संचालित होंगी।

इस अवधि के दौरान संस्था प्रधान एवं स्टाफ आवश्यक ऐहतियात बरतते हुए विद्यालय में उपस्थित रहकर बोर्ड सम्बन्धी एवं शाला सम्बन्धी आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे।

इस संदर्भ में आपसे निवेदन है कि अपने क्षेत्राधिकार के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें। अवहेलना करने वाले विद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कृपया इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/विविध दिवस/2018/201 दिनांक :14.03.2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि आदेश की पालना सुनिश्चित करावें तथा अवहेलना करने वाले विद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर सूचित करावें :–

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक ।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी,समग्र शिक्षा अभियान ।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Scanned with CamScanner